

## चुनावी बॉण्ड

### प्रलिस के लयः

चुनावी बॉण्ड, राजनीतिक दल, लोगों का प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951

### मेन्स के लयः

चुनावी प्रक्रिया पर चुनावी बॉण्ड का प्रभाव, नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय स्टेट बैंक \(SBI\)](#) ने डेटा रिपोर्टिंग साझा की जिसमें बताया गया है कि [चुनावी बॉण्ड \(EB\)](#) के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान की गई राशि 10,000 करोड़ रुपए का आँकड़ा पार कर चुकी है।

- **जुलाई 2022 में आयोजित चुनावी बॉण्ड की 21वीं बिक्री में** पार्टियों को चुनावी बॉण्ड खरीद से **5 करोड़ रुपए** मिले।
- पार्टियों द्वारा एकत्र की गई कुल राशि वर्ष 2018 में चुनावी बॉण्ड योजना शुरू होने के बाद से 10,246 करोड़ रुपए हो गई है।

## चुनावी बॉण्ड:

- **परिचय:**
  - भारतीय स्टेट बैंक इन बॉण्ड्स को जारी करने और भुनाने (Encash) के लिये अधिकृत बैंक है।
  - चुनावी बॉण्ड दाताओं द्वारा गुप्त रूप से खरीदे जाते हैं और ये बॉण्ड जारी करने की तारीख से पंद्रह दिनों तक वैध रहते हैं।
  - ऋण साधनों के रूप में इन्हें दानदाताओं द्वारा बैंक से खरीदा जा सकता है और राजनीतिक दल उन्हें भुना सकते हैं।
  - इन्हें केवल एक पात्र [राजनीतिक पार्टी](#) द्वारा बैंक के अपने खाते में जमा करके भुनाया जा सकता है।
  - चुनावी बॉण्ड SBI द्वारा बना कसि अधिकतम सीमा के **1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में** जारी किये जाते हैं।
  - बॉण्ड कसि भी व्यक्ति (जो भारत का नागरिक है) द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में प्रत्येक दस दिनों की अवधि हेतु खरीद के लिये उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
- **पात्रता:**
  - **केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** की धारा 29 ए के तहत ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने **नेलोकसभा** या **वधिसभा** के पछिले आम चुनाव में **डाले गए वोटों का कम-से-कम 1% वोट प्राप्त** किया है, वे चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के लिये पात्र हैं।

## चुनावी बॉण्ड भारत के लिये चुनौती का वषिय:

- **मूल वचिर के वषिरित:**
  - चुनावी बॉण्ड योजना की मुख्य आलोचना यह की जाती है कि यह अपने **मूल वचिर यानी चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के ठीक वषिरित काम** करता है।
    - उदाहरण के लिये आलोचकों का तर्क है कि चुनावी बॉण्ड की गुमनामी केवल जनता और वषिकषी दलों तक की सीमति होती है।
- **जबरन वसूली की संभावना:**
  - चूँकि इस तरह के बॉण्ड **सरकारी स्वामति वाले बैंकों (SBI) के माध्यम से बेचे जाते हैं, ऐसे में कई आलोचकों का मानना है कि सरकार इसके माध्यम से यह जान सकती है कि कौन लोग वषिकषी दलों को वषितपोषण प्रदान कर रहे हैं।**
    - परिणामस्वरूप यह प्रकिया केवल तत्कालीन सरकार को ही धन उगाही की अनुमति देती है और इस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी को अनुचित लाभ प्रदान करती है।
- **लोकतंत्र के लिये चुनौती:**
  - **वषित अधिनियम 2017** में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के ज़रिये प्राप्त राशिका खुलासा करने

से छूट दी है।

- इसका मतलब है कि मतदाता यह नहीं जान पाएंगे कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को और किस हद तक वित्तपोषण किया है।

◦ हालाँकि प्रतनिधि लोकतंत्र में नागरिक अपना वोट उन्हें देते हैं जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे।

■ 'जानने के अधिकार' से समझौता:

◦ भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि 'जानने का अधिकार' विशेष रूप से चुनावों के संदर्भ में भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19) का एक अभिन्न अंग है।

■ स्वतंत्र और नष्पिक्ष चुनावों के खिलाफ:

◦ चुनावी बॉण्ड नागरिकों को इस संदर्भ में कोई विवरण नहीं देते हैं।

◦ उक्त गुमनामी उस समय की सरकार पर लागू नहीं होती है, जो कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से डेटा की मांग करके दाता के विवरण तक पहुँच सकती है।

◦ इसका मतलब यह है कि सत्ता में बैठी सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है और स्वतंत्र व नष्पिक्ष चुनाव को बाधित कर सकती है।

■ क्रोनी कैपिटलिज़्म:

◦ चुनावी बॉण्ड योजना राजनीतिक चंदे पर पहले से मौजूद सभी सीमाओं को हटा देती है और प्रभावी रूप से अच्छे संसाधन वाले नगियों को चुनावों के लिये धन देने की अनुमति देती है जिससे क्रोनी कैपिटलिज़्म का मार्ग प्रशस्त होता है।

◦ क्रोनी कैपिटलिज़्म एक आर्थिक प्रणाली है जो उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों के बीच घनषिठ, पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों की वशिषता है।

## आगे की राह

■ भ्रष्टाचार के दुष्चक्र को तोड़ने और लोकतांत्रिक राजनीतिक गुणवत्ता की कमी के लिये साहसिक सुधारों के साथ-साथ राजनीतिक वित्तपोषण के प्रभावी वनियमन की आवश्यकता है।

■ संपूरण शासनतंत्र को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने हेतु मौजूदा कानूनों में खामियों को दूर करना आवश्यक है।

■ मतदाता जागरूकता अभियान पर्याप्त बदलाव लाने में भी मदद कर सकते हैं।

◦ यदि मतदाता उन उम्मीदवारों और पार्टियों को अस्वीकार करते हैं जो उन पर अधिक खर्च करते हैं या उन्हें रशिवत देते हैं तो इससे लोकतंत्र एक कदम और आगे बढ़ेगा।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/electoral-bonds-9>